

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 569/116/वि/नि/चार/2023 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12/09/2023
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:—स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में संशोधन के संबंध में।


—0—

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 499/116/2023/वित्त/नियम/चार, दिनांक 14 अगस्त, 2023 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के प्रावधान में संशोधन किये गये हैं। अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(इन्द्रप्रकाश रात्रे)

अवर सचिव

पृ.क्रमांक 570/116/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12/09/2023
प्रतिलिपि:—

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर

8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
 10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
 13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
 14. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
 18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
 19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
 21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
 22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु


(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 427]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 अगस्त 2023 — श्रावण 30, शक 1945

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2023

अधिसूचना

क्रमांक 499/116/2023/वित्त/नियम/चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम 42 में,-

- (1) शीर्षक में, शब्द एवं अंक “20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति” के स्थान पर, शब्द एवं अंक “17 या 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति” प्रतिस्थापित किया जाये;
- (2) उप-नियम (1) के खण्ड (ए) में, शब्द एवं अंक “20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण होने के पश्चात्” के स्थान पर, शब्द एवं अंक “17 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण होने के पश्चात्” प्रतिस्थापित किया जाये;
- (3) उप-नियम (1) की टिप्पणी 1 में, शब्द एवं अंक “उसने पेंशन के लिए 20 वर्ष की अर्हता सेवा वास्तव में पूरी कर ली है” के स्थान पर, शब्द एवं अंक “उसने पेंशन के लिए 17 वर्ष की अर्हता सेवा वास्तव में पूरी कर ली है” प्रतिस्थापित किया जाये।

2. प्ररूप 28 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रारूप प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“प्रारूप 28
(नियम 42 (1) (ए) देखिये)

प्रति,

.....
.....

चूंकि, मैंने 17 वर्ष की अर्हता सेवा पूर्ण कर ली है और अब मैं सरकारी सेवा से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन तारीख से सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ, अतः तदनुसार उसकी सूचना एतद्वारा दी जा रही है।

अथवा

चूंकि, मैंने 17 वर्ष की अर्हता सेवा पूर्ण कर ली है और अब मैं सरकारी सेवा से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन तारीख से सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ, अतः तदनुसार उसकी सूचना एतद्वारा दी जा रही है;

और चूंकि, इस सूचना की कालावधि दिन से कम पड़ती है, अतः उपरोक्त दिनों के वेतन तथा भत्ते की रकम चालान क्रमांक तारीख के अधीन जमा कर दी गई है, जिसकी प्रति इसके साथ संलग्न है।

अथवा

चूंकि, मैंने 17 वर्ष की अर्हता सेवा पूर्ण कर ली है और अब मैं सरकारी सेवा से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन तत्काल अर्थात् तारीख से सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ, अतः तदनुसार उसकी सूचना, एतद्वारा दी जा रही है।

उक्त खण्ड द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार छः मास की सूचना के बदले में छः मास के वेतन तथा भत्ते की रकम चालान क्रमांक तारीख के अधीन जमा कर दी गई है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर
तथा पदनाम”

यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतीश पाण्डेय, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 14th August 2023

NOTIFICATION

Sl. No. 499/116/2023 / Finance / Rules / Four.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 42,-

- (1) In Heading, for the words and figure "Retirement on completion of 20 years qualifying service" the figure and words "Retirement on completion of 17 or 20 years qualifying service" shall be substituted;
 - (2) In clause (a) of sub-rule (1), for the words and figure "after completing 20 years qualifying service", the words and figure "after completing 17 years qualifying service" shall be substituted;
 - (3) In Note 1 of sub-rule (1), for the words and figure "he has in fact, completed 20 years qualifying service for pension", the words and figure "he has in fact, completed 17 years qualifying service for pension" shall be substituted.
2. For Form 28, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM 28
(See rule 42 (1)(a))

To,

.....
.....

Whereas, I have completed 17 years qualifying service and now desire to retire from Government service under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 42 of the C.G. Civil Services (Pension) Rules, 1976, with effect from, a notice whereof is hereby given accordingly;

Or

Whereas, I have completed 17 years qualifying service and now desire to retire from Government service under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 42 of the C.G. Civil Services (Pension) Rules, 1976, with effect from....., a notice whereof is hereby given accordingly;

And whereas, the period of this notice falls short of Days, the pay and allowances for the days aforesaid have been credited under challan No..... dated....., a copy where of is enclosed herewith;

Or

Whereas, I have completed 17 years qualifying service and now desire to retire from Government service under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 42 of the C.G. Civil Services (Pension) Rules, 1976, forthwith that is to say with effect from....., a notice whereof is hereby given accordingly;

The pay and allowances for six months have been credited under Challan No.....dated....., a copy whereof is enclosed, in lieu of six months notice as required by the said cause.

Signature and designation of the
Government Servant"

This Notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATISH PANDEY, Joint Secretary.